

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नर्मदा भवन, द्वितीय तल 'सी' बिंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./12711 / एनआरईजीएस-म.प्र./स्था०/एनआर-2/09

भोपाल दिनांक 11/10/09

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजगढ़ म.प्र.

विषय :- एरियर की राशि के भुगतान हेतु मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ :- जिला पंचायत राजगढ़ का पत्र क्र. 6309 दिनांक 14.7.09

विषयांतर्गत लेख है कि जिला पंचायत राजगढ़ के पत्र 6309 द्वारा सुश्री शक्ति खरे हेतु एरियर की राशि के भुगतान हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि सुश्री शक्ति खरे दिनांक 30.8.08 को आपके कार्यालय से भारमुक्त हुई हैं। अतः राजगढ़ जिले में जितनी अवधि तक पदस्थापना थी, उस अवधि की एरियर राशि का भुगतान आपके कार्यालय से एवं शेष एरियर की राशि का भुगतान नवीन पदस्थापना वाले जिले से किया जावेगा।

AKS 26.9.09
(ए०केंसिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासा)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./12712/एनआरईजीएस/स्था./एनआर-2/09

भोपाल दिनांक 11/10/09

प्रतिलिपि:-

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु अग्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AKS 26.9.09
संयुक्त आयुक्त (प्रशासा)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल